# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 62/2015 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2015/00024

रणजीत सिंह पुत्र उत्तम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल 105, रेबिट रन, आर.डी. रोड़ सिवेल, एन.जे.(08080), यू.एस.ए.।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति हरबंश कौर उर्फ बहाल कौर पत्नि उत्तम सिंह निवासी चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. सुखदेव सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर हाल पिण्ड बल, तहसील अजनाला जिला अमृतसर।
3. हरशरण सिंह पुत्र उत्तम सिंह निवासी चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर वीपीओ सोल, तहसील व जिला तरनतारण, पंजाब।
4. श्रीमति गुरमीत कौर पत्नि सुखवीर सिंह पुत्री उत्तम सिंह निवासी वीपीओ मुसे, तहसील व जिला तरनतारण पंजाब।
5. प्रभजीत कौर पत्नि सुखवीर सिंह पुत्री उत्तम सिंह निवासी वीपीओ अड्डा चबाल, भिखी विण्ड रोड़, नजदीक बर्फ का कारखाना तहसील एवं जिला तरनतारण पंजाब।
6. हरमीत कौर पत्नि जसविन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी नाभा रोड़ नजदीक आईटीआई, मलेरकोटला, पंजाब।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय पारीक – अभिभाषक अपीलांट
श्री दिनेश सिंह बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेंट्स
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

## निर्णय

दिनांक 15.02.2022

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 8 की मुरब्बा नंबर 63 में 2.302 हैक्ट. नहरी मय खाल कृषि भूमि एवं खाता संख्या 63 की मुरब्बा नंबर 59 व 60 में 0.948 हैक्ट. कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में

अंकित थी। अपीलार्थी के पिता उत्तम सिंह ने अपने जीवन काल में अपने नाम से दर्ज चक 4 बी.बी. तहसील पदमपुर के मुं. नं. 63 की 9 बीघा 2 बिस्वा नहरी कृषि भूमि मय खाल एवं खाता संख्या 73/71 के 75 हिस्सा नहरी भूमि की वसीयत दिनांक 05.11.1990 को अपीलार्थी के हक में की थी जो उपपंजीयक पदमपुर के यहां पंजीकृत है। अपीलार्थी के पिता की मृत्यु दिनांक 02.06.1993 को हो चुकी है। तहसीलदार पदमपुर द्वारा इन्तकाल संख्या 294 दिनांक 03.01.2008 को विरासतन स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील अपीलांट अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 13.08.2012 को खारिज कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय पारीक ने अपनी बहस में कथन किया कि उत्तम सिंह चक 4 बी.बी. पदमपुर के खसरा नंबर 63 की 2.302 हैक्ट. भूमि का खातेदार था। उत्तम सिंह का देहान्त दिनांक 05.07.1993 को हो चुका था। उत्तम सिंह ने दिनांक 05.11.1990 को अपने पुत्र अपीलांट रणजीत सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत कर दी थी, जिस पर किसी को कोई आपति नहीं थी। तहसीलदार पदमपुर ने अभियान में उक्त भूमि वारिसान की तस्दीक व मृत्यु प्रमाण पत्र लिए बिना और वारिसानों को सुने बिना दिनांक 03.01.2008 को विरासतन इंतकाल दर्ज कर दिया। प्रथम 45 दिन तक विरासतन इन्तकाल दर्ज करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इन्तकाल दर्ज किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर ने निर्णय दिनांक 13.08.2012 ने कानूनी रूप से गलत पारित किया है। अपीलांट अमेरिका में रहता है इसकारण अपील पेश करने हेतु जब श्रीगंगानगर पहुंचा तो दिनांक 13.08.2012 के निर्णय की नकल की सत्यप्रति नहीं दी गई। इसके पश्चात् आरटीआई के जरिये नकल प्राप्त करके अपील पेश की। राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय आर.आर.डी. 1998 पेज 319 हाईकोर्ट का निर्णय है कि मियाद से पूर्व तथ्यों को देखा जावे। इस प्रकरण में मियाद लागू नहीं होती, दफा 5 के प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य अंकित किये हुए थे। अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जावे एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर व तहसीलदार पदमपुर के आदेश को निरस्त कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जावे कि रजिस्टर्ड वसीयत से पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर अपीलांट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 5 व 6 श्री दिनेश सिंह बिश्नोई ने अपनी बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट के तथ्यों पर कोई आपति नहीं व्यक्त करते हुए वसीयत इन्तकाल अपीलांट के हक में दर्ज किये जाने पर अपनी सहमति दी।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि तहसीलदार पदमपुर ने नामान्तरकरण संख्या 294 दिनांक 03.01.2008 अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही स्वीकृत किया। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2012 में अपील अपीलांट को इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलांट ने लगभग 15 वर्षों तक वसीयतनामों के आधार पर इंतकाल दर्ज कराने की कोई विधिक कार्यवाही नहीं की है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) श्रीगंगानगर ने तहसीलदार पदमपुर द्वारा अभियान में स्वीकृत इंतकाल संख्या 294 दिनांक 03.01.2008 को उचित समझते हुए अपील अपीलांट को दिनांक 13.08.2012 को खारिज कर दी, जो उचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड वसीयत के संबंध में स्वयं कोई विधिवत परीक्षण आदि नहीं करवाया हैं। अतः अपील अपीलांट को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार पदमपुर के आदेश दिनांक 03.01.2008 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.08.2012 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर एवं वसीयत का अपने स्तर से परीक्षण कराते हुए विधिसम्मत पुनः निर्णय पारित करें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर